



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16.03.2023

थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 119/23 धारा 323/307/352 भादवि में वांछित
एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.02.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री सौरभ पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.विनित पुत्र सुभाष, 2-जोनी पुत्र सुभाष, 3.बिटटू पुत्र गुलवीर व 4-सन्नी पुत्र गुलवीर निवासीगण ग्राम गुराना थाना बडौत द्वारा वादी के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर किया गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 119/23 धारा 323/352/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 217/23 धारा 323/352/307 भादवि से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जौनी पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अखिलेश कुमार थाना बडौत ।

2.का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 16.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक



जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय उर्फ नीटू पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 136/15 धारा 147/148/149/353/307 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 145/15 धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 66/23 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 आशीष कुमार थाना छपरौली ।
- 2-है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली ।
- 3-है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 168/22 धारा

147/148/452/352/323/504/354/354ख/506 भादवि व मु0अ0सं0 251/2023

धारा 323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 168/22 धारा 147/148/452/352/323/504/354/354



ख/506 भादवि व मु0अ0सं0 251/2023 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनस उर्फ अन्ना पुत्र अनीस निवासी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 584 कपिल कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 16.03.2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाना के मु0अ0सं0 62/23 धारा 392/504 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 लुटेरे को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16-03-2023 को थाना बिनौली पर सचिन कुमार पुत्र विरसेन निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला ने सूचना दी कि वह जब ओम रिसोर्ट बिनौली से अपने घर वापस लौट रहा था तो रंछाड-बामनौली रास्ते में मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज कर स्कूटी नं0 UK-07BP-



7318, मोबाइल OPPO व 400 रुपये लूट लिये । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 62/23 धारा 392/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर लुटेरे/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 62/23 धारा 392/504 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 लुटेरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन ओप्पो बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सागर पुत्र बृजपाल निवासी मौहम्मदपुर रायसिंह थाना बौहरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोबाइल फोन OPPO

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली।
- 3-है0का0 279 ओमबीर सिंह थाना बिनौली।
- 4-का0 874 सतेन्द्र सिंह थाना बिनौली।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.03.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र धन्नु निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 267/2018 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 48/2019 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 200/2020 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

4.मु0अ0सं0 20/2023 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर ।

2-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना एचटीयू

दिनांक 16-03-2023

थाना एचटीयू बागपत, श्रम प्रवर्तन अधिकारी व थाना सिंघावली अहीर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गये बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन अभियान में 02 बाल श्रमिकों का कराया गया रेस्क्यू ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 16-03-2023 को नायब तहसीलदार, थाना एचटीयू बागपत व श्रम प्रवर्तन एवं थाना सिंघावली अहीर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा “बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन” अभियान चलाया गया । जिसमें थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र से 02 बाल



श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया । बाल श्रमिकों को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेश किया गया । सीडब्लूसी बागपत द्वारा बाल श्रमिकों के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम न कराने की चेतावनी देते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

रेस्क्यू करने वाली टीम-

- 1-नायब तहसीलदार श्रीमति मोनिका यादव ।
- 2- श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री एसपी गौतम ।
- 3-थाना एएचटीयू बागपत टीम ।
- 4- थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनाँक 16.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार,
जिनके कब्जे से 48 पाउच अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे 48 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 218/23

धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सावन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-जयवीर पुत्र जिलेसिंह निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 48 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 सत्यम जंघाला थाना बडौत ।

2-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बडौत ।

3-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत ।